

क (i) मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| 0. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|-----|--|------------|--|
| 1. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 58/16.20.000/2013-14 | 07.05.2014 | बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश |
| 2. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 53/13.05.000/2013-14 | 28.03.2014 | बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश |
| 3. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 29/13.05.000/2013-14 | 10.10.2013 | शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर ज़मानती ऋण संबंधी एक्सपोज़र मानदंड |
| 4. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 13/09.22.010/2013-14 | 10.09.2013 | आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए लोन - सीमाओं को बढ़ाना |
| 5. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 45/13.05.000/2012-13 | 03.04.2013 | शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर ज़मानती ऋण संबंधी एक्सपोज़र मानदंड |
| 6. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 31/13.05.000/2011-12 | 26.04.2012 | मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 -आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
| 7. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 47/13.05.000/2010-11 | 11.05.2011 | मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 -आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा - प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक |
| 8. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 13/13.05.000/2010-11 | 15.11.2010 | आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा - शहरी सहकारी बैंक |
| 9. | शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 21/13.05.000/2010-11 | 15.11.2010 | गैर-जमानती ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम सीमा |
| 10. | शर्बैवि.(पीसीबी) बीपीडी.परि.सं. 69/13.05.000/2010-11 | 09.06.2010 | स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए एक्सपोज़र |
| 11. | शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबीपरि.सं.6 3/16.20.000/2009-10 | 04.05.2010 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सूचीबद्ध गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में |

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| | | | निवेश |
| 12. | शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबीपरि.सं. 62/16.20.000/2009-10 | 30.04.2010 | आधारभूत संरचना गतिविधियों का कार्य करनेवाली कंपनियों द्वारा जारी बांडो मे बैंको द्वारा निवेश का वर्गीकरण |
| 13. | शर्बैवि(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं. 47/16.20.000/2008-09 | 30.01.2009 | प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश |
| 14. | शर्बैवि(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं. 46/16.20.000/2008-09 | 30.01.2009 | प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश |
| 15. | शर्बैवि(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं. 14/16.20.000/2007-08 | 18.09.2007 | प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश |
| 16. | शर्बैवि.पीसीबी.परि.सं.7/13.0 5.000/2007-08 | 13.07.2007 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त |
| 17. | शर्बैवि.पीसीबी.परि.सं.31/13. 05.000/2006-07 | 12.03.2007 | निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें उनका हित निहित है |
| 18. | शर्बैवि.पीसीबी.परि.सं.29/13. 05.000/2005-06 | 30.01.2006 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा |
| 19. | शर्बैवि.पीसीबी.परि.सं.22/13. 05.000/2005-06 | 05.12.2005 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - एकल पक्षकार/संबद्ध समूह को गैर-जमानती अग्रिमों की सीमा |
| 20. | शर्बैवि.पीसीबी.परि.सं.14/13. 05.000/2005-06 | 06.10.2005 | निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें उनका हित निहित है |
| 21. | शर्बैवि.डीएस.परि.सं.44/13.0 5.000/2005-06 | 15.04.2005 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा |
| 22. | शर्बैवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.45/16.20.00/ 2003-04 | 15.04.2004 | प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा गैर- एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश |
| 23. | शर्बैवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.34/13.05.00/ 2003- 04 | 11.02.2004 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा - पूँजीगत निधियों का परिकलन |
| 24. | शर्बैवि.बीपीडी.डीएस.(पीसीबी) परि.सं.29/ 13.05.00/ 2003-04 | 05.01.2004 | प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्त प्रदान करना |
| 25. | शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.4 6/16.20.00/2002-03 | 17.05.2003 | गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों में जमाराशि रखना |
| 26. | शर्बैवि.बीपीडी.परि.सं.50/13.0 5.00/2002-03 | 29.04.2003 | निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें |

| | | | |
|-----|---|------------|--|
| | | | उनका हित निहित है |
| 27. | शर्बैवि.डीएस.पीसीबी.परि.सं.3 7/13.05.00/2001-02 | 01.04.2002 | व्यक्ति/उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा |
| 28. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.4 1/13.05.00/2000-01 | 19.04.2001 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त |
| 29. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.3 5/13.05.00/1999-2000 | 13.03.2001 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वेतन भोगी बैंकों द्वारा गैर-जमानती अग्रिम देना - सीमा में संशोधन |
| 30. | शर्बैवि.सं.पीसीबी.परि.25/13.0 5.00/2000-2001 | 08.01.2001 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्ति/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा - पूँजीगत निधियों का अभिकलन |
| 31. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.24/13 .05.00/2000-2001 | 16.01.2001 | हीरे निर्यातकों को ऋण प्रदान करना - संघर्ष प्रवण हीरों के आयात पर रोक |
| 32. | शर्बैवि.सं.डीएस.4/13.05.00/ 2000-01 | 25.08.2000 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्ति/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा - पूँजीगत निधियों का अभिकलन |
| 33. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.1/13. 05.00/2000-2001 | 28.07.2000 | हीरे निर्यातकों को ऋण प्रदान करना - संघर्ष प्रवण हीरों के आयात पर रोक |
| 34. | शर्बैवि.सं.डीएस.परि.31/13.05 .00/1999-2000 | 01.04.2000 | अग्रिम की अधिकतम सीमा - ऋण सीमा |
| 35. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.4 1/13.05.00/1997-98 | 12.02.1998 | निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दिए गए अग्रिम |
| 36. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.3 8/13. 05.00/1996- 97 | 04.02.1997 | व्यक्ति/उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा - मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम |
| 37. | शर्बैवि.सं.प्लान.पीसीबी.33/09 .09.01/96-97 | 13.12.1996 | प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा कृषि कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण |
| 38. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2 7/13.05.00/96-97 | 11.11.1996 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - एकल पार्टी/सम्बद्ध ग्रुप के लिए गैर-जमानती अग्रिम की सीमा |
| 39. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.1 6/13.05.00/96-97 | 11.11.1996 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा |
| 40. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2 5/13.05.00/96-97 | 30.10.1996 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को प्रदत्त अग्रिम |
| 41. | शर्बैवि.सं.प्लान.पीसीबी.20/09 .63.0096-97 | 16.10.1996 | नाम मात्र सदस्यता के लिए नीति और प्रथा |
| 42. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.6 5/13.05.00/95-96 | 31.05.1996 | अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) की जमानत पर अग्रिम |

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| 43. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.6 3/13.05.00/95-96 | 24.05.1996 | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देना |
| 44. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.5 3/13.05.00/95-96 | 22.03.1996 | अग्रिम की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा |
| 45. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.3 9/13.05.00/95-96 | 16.01.1996 | अग्रिम की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा |
| 46. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.1 8/13.05.00/95-96 | 16.01.1996 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा |
| 47. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.6 0/13.05.00/95-96 | 30.05.1995 | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का उधार देना |
| 48. | शर्बैवि.सं.डीएस.(पीसीबी) परि.58/13.05.00/94-95 | 17.05.1995 | पूरक ऋण/अंतरित वित्तपोषण |
| 49. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.1 6/13. 05.00/94-95 | 29.04.1995 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा |
| 50. | शर्बैवि.सं.डीएस.(पीसीबी)परि.5 4/13.05.00/94-95 | | अग्रिमों की अधिकतम सीमा |
| 51. | शर्बैवि.सं.डीएस.परि.25/13.05 .00/94-95 | 21.10.1994 | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देना |
| 52. | शर्बैवि.सं.आई ऍण्ड एल.आरसीएस.1/12.05.00/9 4-95 | 15.07.1994 | प्राथमिक सहकारी बैंकों के व्यवसायके साथ स्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता जैसे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम देना |
| 53. | शर्बैवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी. 4/13.05.00/94-95 | 12.07.1994 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - निदेशकें और उनके रिश्तेदारों तथा उन संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना जिनमें निदेशको और उनके रिश्तेदारोंका हित निहित है |
| 54. | शर्बैवि.सं.(पीसीबी) निदे.5/ 13.05.00/93-94 | 26.05.1994 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा |
| 55. | शर्बैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).परि. 76/13.05.00/93-94 | 26.05.1994 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - निदेशकें और उनके रिश्तेदारों तथा उन संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना जिनमें निदेशको और उनके रिश्तेदारोंका हित निहित है |
| 56. | शर्बैवि.सं.40/09.63.00/93- 94 | 16.12.1993 | नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा |
| 57. | शर्बैवि.सं.(पीसीबी).29/डीसी (आर.1)92-93 | 26.12.1992 | पूरक ऋण/अंतरित वित्तपोषण |
| 58. | शर्बैवि.सं.प्लान 8/यूबी.8/91- 92 | 05.12.1992 | नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा |
| 59. | शर्बैवि.सं.(पीसीबी) 55/डीसी | 25.02.1991 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वसूली के |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| | (आर.1)90-91 | | लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर अग्रिम |
| 60. | शर्बैवि.सं.पीसीबी.2/डीसी (आर.1) 90-91 | 20.07.1990 | लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों का वित्तपोषण |
| 61. | शर्बैवि.सं.डीसी.99/आर.1/87-88 | 08.02.1988 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वेतनभोगी उधारकर्ताओं की अग्रिम |
| 62. | शर्बैवि.सं.पी ऍण्ड ओ. 100/86-87 | 25.06.1987 | नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा |
| 63. | एसीडी प्लान (आईएफएस) 1295/पीआर.36/78-79 | 17.10.1978 | भविष्य निर्वाह निधी जैसी सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में चूक करने वाले उधारकर्ताओं को प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं |

B. अन्य परिपत्रों की सूची जिनमें से ऋण सीमा संबंधी मानदंडों एवं ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों से संबंधित अनुदेशों को भी इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

| सं. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|-----|--|------------|--|
| 1. | शर्बैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं. 7/09.22.010/2011-12 | 31.10.2011 | आवास ऋण सीमा और चुकौती की अवधि में संशोधन - मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा |
| 2. | शर्बैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं. 50/13.05.000(बी)/2010-11 | 02.06.2011 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का वित्तपोषण |
| 3. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.7/13.04.00/2000-2001 | 10.10.2000 | मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - वर्ष 2000-2001 के लिए मध्यावधि समीक्षा |
| 4. | शर्बैवि.सं.डीएस.एसयूबी.2/13.05.00/2000-2001 | 25.08.2000 | बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई |
| 5. | शर्बैवि.सं.प्लान.एसपीसीबी.01/09.09.01/2000-2001 | 01.07.2000 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि के लिए आगे उधार देने के लिए एमबीएफसी को उधार देना |
| 6. | शर्बैवि.सं.डीएस.एसयूबी.3/13.05.00/1999-2000 | 21.09.1999 | बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई |
| 7. | शर्बैवि.प्लान.सं.एसपीसीबी.01/09.09.01/99-2000 | 27.11.1999 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - खाद्य और कृषि आधारित प्रक्रिया, वानिकी और |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| | | | अति लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह |
| 8. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.1 0/13.05.00/98-99 | 27.11.1998 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम |
| 9. | शर्बैवि.प्लान.जीआर.एसयूबी.5 /09.09.01/98-99 | 18.11.1998 | ट्रकों के वित्तपोषण की जमानत पर एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बैंक ऋण - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण |
| 10. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.5 5/13.05.00/97-98 | 29.04.1998 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम |
| 11. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 46/13.05.00/96-97 | 23.04.1997 | संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उधार देना |
| 12. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 40/13.05.00/96-97 | 08.04.1996 | कार्यशील पूंजी के लिए उधार - तदर्थ सीमा की मंजूरी |
| 13. | शर्बैवि.सं.प्लान.पीसीबी.परि. 60/09.78.00/95-96 | 08.04.1996 | उपकरण लीजिंग और किराया खरीद कार्य-कलापों के लिए वित्तपोषण |
| 14. | शर्बैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 35/13.05.00/95-96 | 05.01.1996 | संयुक्त शेयर कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| 15. | शर्बैवि.सं.प्लान.परि.आरसीएस -9/09.22.01/95-96 | 01.09.1995 | आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
| 16. | शर्बैवि.सं.डीसी.7/13.05.00/ 95-96 | 09.08.1995 | संयुक्त शेयर कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| 17. | शर्बैवि.सं.(पीसीबी) 50/ 13.05.00/93-94 | 14.01.1994 | कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध - स्थावर संपदा ऋण |
| 18. | शर्बैवि.सं.(पीसीबी) 54/डीसी (आर-1) 92-93 | 07.04.1993 | कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध |
| 19. | शर्बैवि.सं.(पीसीबी) 38/डीसी (आर-1) 91-92 | 13.11.1991 | कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध |

.....